

कार्यालय,

संघित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजनऊ।

संख्या- प्राविपापरिषद/सम्बद्धता/2022/9-437

राजनऊ दिनांक: 27/09/2022

कार्यालय आघः

संघित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयित और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विषयोमा सारीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक: 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघीता संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1578-AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु सत्र 2015-08- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु सत्र- 45000/00- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सत्र-22500/00- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परिसर निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो फीस भी नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश राजनऊ द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशी, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

27/09/22

Principal

**Agra Public Pharmacy College of Diploma
Agra, Agra**

- ✓ यदि संस्थान का एग्रा-आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा बाहर बाहर के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश क्विन्स द्वारा प्राविक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एग्रा-आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैचसाइट पर संस्था की समस्त सुचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टॉफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुल्क, छात्रवास बुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध बनाने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघीय पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एग्रा-आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सॉर्टी का अनुपालन न किये जाने अथवा सॉर्टी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में गिरफ्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ0आर0 छात्र)

सचिव

पृ0सं0- प्राविधिपरिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

दिनांक: 27/08/2022

प्रतिनिधि-

एग्रा-आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0, AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA


(एफ0आर0 छात्र)

सचिव


Principal
Agra Public Pharmacy College of Diploma
Agra, Agra

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या - प्राविष्यपरिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मनी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशीया स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दे पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संसद को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 1978-AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA, ARTONI, SKANDRABAD, AGRA

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संसद ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संसद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, रीगुलर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी। उक्त शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वर्षीय इन्वी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मनी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रायःक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शूलक के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु परीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संसद को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उप-समितियां संसदों को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संसद में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संसद को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक जमा करना होगा।

S Arora
Principal

Agri Public Pharmacy College of Diploma
Artori, Agri

- ✓ संस्था को 10.आईसीआईटीआईपीआईआईसीआईटी से अग्रणीता प्राप्त हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों-अधिनियमों/शासनव्यवस्थापिकाओं एवं निदेशों के प्राविधिक शिक्षा, उद्योग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाये गये विनियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षणमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त/पिछले संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में या: न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अर्पण निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी.सी.आई.टी. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से) प्रवेश संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित नवीनतम अंतरिम विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला भूखण्ड, छात्रावास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/अधिक्षण हेतु उपयुक्त कालावधि उपलब्ध कराने के साथ रेगिस्टर रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को पठाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अगिटेण्ड, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरीक्षा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा 10.आईसीआईटीआईपीआईआईसीआईटी परिषद के मालकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन से किये जाने अथवा रातों का उत्तरादन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0स0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3530-4809

दिनांक: 09/05/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AGRA PUBLIC PHARMACY COLLEGE OF DIPLOMA, ARTONI, SIKANDRABAD, AGRA



(सुनील कुमार सोनकर)

Principal
Agra Public Pharmacy College of Diploma
Artuni, Agra

सचिव

**कार्यालय
राजिव् प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
एअर प्रदेश (अजमेर)**

संख्या- प्रावि/परिषद्/सम्बद्धता/2020/141

संलग्नक दिनांक: 18-08-2020

-कार्यालय द्वारा-

राजिव् प्राविधिक प्राथमिकी शिक्षा परिषद् एवं दिल्ली/राज्यीय कार्यालय लोक इन्डिया नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2020-21 हेतु दिल्लीय राष्ट्रीय राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध प्राविधिक शिक्षा परिषद्, एअर प्रदेश तथा सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रमाण दिए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को अजमेर, प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद्, एअर प्रदेश के अध्यक्षता में प्रथम बैठक में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राजिव् द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिकांश नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/एअरप्रदेश/प्रदेश अथवा उच्च शिक्षा अथवा एअर शिक्षा अथवा एअर सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

एअर की अनुमति से सम्बद्धता सचिवालय को बैठक के सत्र-3 में निर्देशना एवं कार्यवाही सम्बन्धित कार्यवाही करने वाली सूची से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रेषण किया गया। सम्बद्धता सचिवालय द्वारा सत्र शिक्षा-विभाग एवं शिक्षण, निर्देश शिक्षा तथा :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित शिक्षा संस्थाएं इन कार्यवाही प्रावधानों में संशोधित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद् एअर अजमेर से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एअर सत्र 2020-21 हेतु पीएचडीआई0 द्वारा उन्हें नयासत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएचडीआई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान/प्रवेश अथवा दो सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यवाही से पीएचडीआई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अजमेर सम्बद्धता सचिवालय को बैठक में किए गये कार्रवाई निर्देश की अनुमति में शिक्षा अथवा एवं प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद्, एअर एअर प्रदेश द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्देशित कार्य के अन्तर्गत सम्बन्धित सूची प्रेषण किया गया अथवा हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	प्रावधान का नाम	पीएचडीआई0 द्वारा - 03 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया	पीएचडीआई0 /राजिव् द्वारा - 03 2020-21 में अनुमोदन प्रदान किया
1	एअर	अजमेर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, अजमेर, (अजमेर, अजमेर)	शिक्षण एवं कार्यवाही	है	है

सम्बद्धता हेतु कार्य

- ✓ अजमेर सम्बद्धता सचिवालय/प्राविधिक शिक्षा परिषद् को सूची सूची का प्रेषण करना।
- ✓ अजमेर द्वारा अथवा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद् एअर एअर प्रदेश प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद् शिक्षण/शिक्षण विभाग, अजमेर शिक्षण/शिक्षण-अजमेर तथा अथवा शिक्षण विभाग एअर एअर प्रदेश के अनुमोदन सूची का प्रेषण किया गया।
- ✓ अजमेर द्वारा अथवा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद् एअर एअर प्रदेश के अनुमोदन सूची का प्रेषण किया गया।
- ✓ अजमेर द्वारा अथवा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद् एअर एअर प्रदेश के अनुमोदन सूची का प्रेषण किया गया।
- ✓ अजमेर द्वारा अथवा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद् एअर एअर प्रदेश के अनुमोदन सूची का प्रेषण किया गया।
- ✓ अजमेर द्वारा अथवा प्रतिष्ठित शिक्षा परिषद् एअर एअर प्रदेश के अनुमोदन सूची का प्रेषण किया गया।

Principal
Agra Public Pharmacy College of Dist
Agra, Agra

